

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-104/2019/ दिनांक

### आदेश

श्रीमती मधु पुत्री श्री रामावतार, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन) राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपुतली, जयपुर को चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	विवरण
1	16.03.2016	12.04.2016	28	असाधारण अवकाश
2	18.04.2016	15.05.2016	28	
3	18.05.2016	31.05.2016	14	
4	04.06.2016	27.06.2016	24	
5	04.07.2016	31.07.2016	28	
कुल			122 दिवस	

उक्त आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में 92 दिवस अभिवृद्धि की जावेगी।

→

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 7/6/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एम-104/2019/807

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई डी क्रमांक 126/एस.एम./एमएण्डएच/2019 दिनांक 24.05.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके आई.डी क्रमांक 3213/एसीएस/एम एण्ड एच/2019 दिनांक 24.05.2019 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई. डी क्रमांक 928 दिनांक 24.05.2019 के संदर्भ में।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपुतली, जयपुर।
5. श्रीमती मधु पुत्री श्री रामावतार, नर्स-2 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

→

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर